

कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज।

कोटेशन सूचना

एतदद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, माननीय जनपद न्यायाधीश कारागंज के अनुमोदित आदेश दिनांकित 12.03.2026 के अनुपालन में जनपद न्यायालय कारागंज के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में आवंटित प्रिंटरों जिनकी वारंटी समाप्त हो चुकी है उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकृत डीलर/फर्मों से सम्बन्धित प्रिंटरों, के परीक्षण के उपरान्त पूर्ण विवरण सहित कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। मरम्मत योग्य प्रिंटरों का विवरण निम्नवत है।

क्रम सं०	मेक/मॉडल नं०	मरम्मत योग्य प्रिंटरों की संख्या
1.	HP Laserjet Pro MFP M226dw	04
2.	HP Laserjet Pro MFP M227fdw	08

उक्त अधिकृत पंजीकृत डीलर फर्मों को कोटेशन में दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:-

- 1-कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत कासगंज में दिनांक 19.03.2026 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।
- 2- कोटेशन दिनांक 19.03.2026 को सायंकाल 4.30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेंगे।
- 3- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
- 4- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 5- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
- 6-कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 7- भुगतान कम्प्यूटर उपकरणों की मरम्मत के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- 8- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
- 9- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10- कोटेशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

दिनांक-

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)

अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No.562/19-2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु।
- 02- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।
- 03- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चरपा किये जाने हेतु।
- 04- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक-

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)

अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01
कासगंज।